छत्तीसगढ़ शासन,
वन विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

रायपुर दिनांक 19 / 10 / 2015

//अधिसूचना//

क्रमांक एफ 6–8/2010/10–2 : भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 41 एवं 42 सहपठित धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 15 के उप–नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

   "500/–रूपये की दर से वार्षिक शुल्क के भुगतान के पश्चात्, पंजीयन, वार्षिक रूप से किया जायेगा किन्तु अधिकतम तीन वर्ष की कालावधि के लिये हो सकेगा।"

2. नियम 17 के उप–नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

   "पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर वनमंडलाधिकारी, आवश्यक सत्यापन के पश्चात् और 2500/– रूपये की दर से वार्षिक शुल्क के भुगतान पर वार्षिक रूप से पंजीकृत करेगा किन्तु अधिकतम तीन वर्ष की कालावधि के लिये हो सकेगा तथा आवेदक को **प्रारूप–घ** में आयात का पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करेगा।"

छत्तीसगढ़ राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

क्रमांक एफ 6–8/2010/10–2: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6–8/2010/10–2 दिनांक 19.10.2015 का अग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के अधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

NOTIFICATION

No. F 6-8/2010/10-2 ; In exercise of the powers conferred by Sections 41 and 42 read with Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (No.16 of 1927), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Transit (Forest Produce) Rules, 2001, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For sub-rule (4) of rule 15, the following shall be substituted, namely:-

   "After payment of annual fees at the rate of Rs.500/- registration shall be done annually but may be for a maximum period of three years."

2. For sub-rule (2) of rule 17, the following shall be substituted, namely:-

   "The Divisional Forest Officer upon receipt of the application for registration, after necessary verification, and on payment of annual fees at the rate of Rs.2500/-, shall register annually but may be for a maximum period of three years and issue the registration certificate of import in Form-D to applicant."

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh

Secretary
Government of Chhattisgarh
Forest Department